

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 1677/2024

- 1. Mohan Lal Son Of Shri Mangya, Resident Of Villange-Danda, Police Station Sapotra, Tehsil Sapotara, District-Karauli (Raj.)
- 2. Ramkesh Son Of Shri Mangi Lal, Resident Of Villange-Danda, Police Station Sapotra, Tehsil Sapotara, District Karauli (Raj.)

----Petitioners

Versus

- 1. State Of Rajasthan, Through P.p.
- 2. Amritlal Son Of Shri Sanvaliya, Resident Of Villange-Danda, Police Station Sapotra, Tehsil-Sapotara, District-Karauli (Raj.).
- 3. Bharatlal Son Of Shri Sanvaliya, Resident Of Villange-Danda, Police Station Sapotra, Tehsil-Sapotara, District-Karauli (Raj.).
- 4. Smt. Preetam Wife Of Shri Dharamsingh, Resident Of Villange-Danda, Police Station Sapotra, Tehsil-Sapotara, District-Karauli (Raj.).
- 5. Smt. Sunita Wife Of Shri Bharatlal, Resident Of Villange-Danda, Police Station Sapotra, Tehsil-Sapotara, District-Karauli (Raj.).
- 6. Narendra Son Of Shri Amritlal, Resident Of Villange-Danda, Police Station Sapotra, Tehsil-Sapotara, District-Karauli (Raj.).

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Mukesh Kumar Verma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. R S Shekhawat, PP Mr. Koslesh Kumar Bairwa, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

25/07/2025

याची/परिवादी द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका विद्वान सेशन न्यायाधीश, करौली द्वारा सेशन प्रकरण संख्या 83/23 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29.01.24 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से अभियुक्त को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के आरोप से आरोप मुक्त करते हुए शेष आरोपों में विचारण हेतु मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली को प्रेषित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त, परिवादी व विद्वान लोक अभियोजक को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

आहत रामकेश के अभियुक्त पक्ष द्वारा लाठी व कुल्हाड़ी से सिर पर मारने से चोटें आने के आधार पर पुलिस द्वारा धारा 307 भारतीय दंड संहिता व अन्य अपराधों के आरोप में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा दो विरोधाभासी चिकित्सकीय रिपोर्ट होने तथा कोई भी चोट प्राणघातक नहीं होने के आधार पर अभियुक्त को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के आरोप से आरोप मुक्त किया गया।

घटना के तुरंत पश्चात आहत रामकेश का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया तो उसके सिर पर गंभीर चोट पायी गयी है, कालान्तर में दो माह बाद दुबारा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया है और इस चोट को साधारण प्रकृति की तथा अन्य चोटों को गंभीर प्रकृति की होना बताया गया है। उपरोक्त विरोधाभास के बावजूद भी स्पष्ट है कि याची/अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर आहत के सिर में चोट पहुंचायी है तथा प्रथमदृष्टया यह चोट गंभीर प्रकृति की होना भी प्रकट हुआ है। धारा 307 भारतीय दंड संहिता के मामले में अभियुक्त का आशय व ज्ञान महत्वपूर्ण है, चोटें कारित होना भी आवश्यक नहीं है और यही व्यवस्था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत महाराष्ट्र राज्य बनाम बलराम (1983) 2 एस सी सी 28 तथा मध्य प्रदेश राज्य बनाम सलीम (2005) 5 एस सी सी 554 में प्रतिपादित की है।

अभियुक्त पक्ष की ओर से यह बताया गया है कि स्वयं परिवादी पक्ष आक्रामक रहा है और उसके विरुद्ध भी कोस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, लेकिन यह सब तथ्य विचारण का विषय है।

प्रथमदृष्टया उपलब्ध सामग्री के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 307 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित नहीं हो सकता हो, विचारण न्यायालय का यह निष्कर्ष तथ्यों व विधि के अनुरूप नहीं होकर अपास्त होने योग्य है।

परिणामतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं विद्वान सेशन न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 29.01.2024 अपास्त किया जाता है तथा विद्वान सेशन न्यायालय, करौली को प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि वे इस बिन्दु पर विधिक प्रावधानों के अनुसार नये सिरे से आदेश पारित करें।

इस आदेश की प्रति पालनार्थ व सूचनार्थ सेशन न्यायालय, करौली तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली को प्रेषित की जावे।

परिवादी पक्ष को भी निर्देश दिया जाता है कि वे आवेदन के साथ इस आदेश की प्रति सेशन न्यायालय में प्रस्तुत करें।

(UMA SHANKER VYAS),J